



जनपद हमीरपुर

थाना- साइबर क्राइम

दिनांक 07.07.2026

साइबर क्राइम थाना हमीरपुर की प्रभावी कार्रवाई, साइबर ठगी के शिकार 15 पीड़ितों के खातों में ₹1,08,387 की धनराशि कराई गई वापस।

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना, हमीरपुर द्वारा निरंतर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों का तकनीकी विश्लेषण कर संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित करते हुए धनराशि को होल्ड एवं वापस कराए जाने की प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

इसी क्रम में साइबर क्राइम थाना, हमीरपुर द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं उपलब्ध अभिलेखों का गहन परीक्षण करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। तकनीकी एवं बैंकिंग समन्वय के माध्यम से साइबर ठगी के शिकार आवेदकों की धनराशि वापस कराने का सफल प्रयास किया गया। प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप कुल **₹1,08,387 (एक लाख आठ हजार तीन सौ सत्तासी रुपये)** की धनराशि संबंधित पीड़ितों के बैंक खातों में वापस कराई गई।

जिन पीड़ितों की धनराशि वापस कराई गई, उनमें **गोपाल कुमार, राम किशन, मोहम्मद अरसाद, रामवीर, शुभम स्वरूप, बलराम, गोपाल, भूपेन्द्र, ऋषभ राजपूत, सरिता सिंह, संजय सिंह, राहुल, सुभाष राजपूत, अर्चना एवं अरविन्द साहू** शामिल हैं। धनराशि वापस मिलने पर सभी आवेदकों ने जनपद पुलिस एवं साइबर क्राइम थाना हमीरपुर की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी, पासवर्ड अथवा अन्य वित्तीय विवरण साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अज्ञात क्यूआर कोड स्कैन करने अथवा लालच अथवा भय उत्पन्न करने वाले फोन कॉल एवं संदेशों पर विश्वास न करें। यदि किसी के साथ साइबर ठगी की घटना घटित होती है, तो तत्काल **साइबर हेल्पलाइन 1930** पर सूचना दें अथवा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, जिससे समय रहते धनराशि को होल्ड कर वापस कराए जाने की कार्रवाई की जा सके।

साइबर क्राइम थाना, हमीरपुर द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। प्रकरणों में अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बराबदगी कराने वाली टीम:-

1. निरी0 भरत कुमार (प्रभारी थाना साइबर क्राइम)
2. आ0 चन्द्रभवन दिवाकर
3. आ0 राहुल कुमार